सावधान रहने की अपील

अनाधिकृत निजी संस्थाओं द्वारा गैर-कानूनी और फर्ज़ी तरीके से लोन सेटेलमेंट की पेशकश/ सलाह से सावधान रहें

प्रिय ग्राहक,

हमें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ गैर-मान्यता प्राप्त और अनाधिकृत निजी संस्था ('संस्थाएं') ऐसे ग्राहकों को अपना शिकार बना रही है, जो बिना सोचे-समझे दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। ये संस्थाएं कई तरीकों से ऐसा करती हैं, जैसे कि, (i) सोशल मीडिया, खास तौर पर फेसबुक और ट्विटर पर विज्ञापन देना, (ii) अपनी वेबसाइट पर झूठी जानकारी प्रकाशित करके उसने सर्च इंजन (जैसे: गूगल आदि) के जरिए लोगों तक पहुंचाना; (iii) अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया पर जाने-माने वित्तीय संस्थानों के ब्रांड लोगो और ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करना/ बिना अधिकार के प्रकाशित करना; (iv) वेबसाइट पर फर्ज़ी तरीके से फीडबैक प्रकाशित करना तथा भोले-भाले ग्राहकों को गैर-कानूनी तरीके से लोन के बारे में सलाह का लाभ उठाने के लिए लुभाना, और पेशगी/ अग्रिम शुल्क के बदले लोन की रकम के सेटलमेंट का झूठा वादा करना।

हम अपने ग्राहकों और आम जनता को सावधान करते हैं कि वे इस तरह की गैर-मान्यता प्राप्त, और अनाधिकृत संस्थाओं के साथ न जुड़ें। ऐसी संस्थाएं फर्ज़ी तरीके से लोन सेटेलमेंट की पेशकश/ सलाह के जरिए डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों या अपना लोन चुकाने में डिफॉल्ट करने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिससे ग्राहकों ('पीड़ितों') को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

ऐसी संस्थाओं के काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार है:

1. ऐसी संस्थाएं खुद को ग्राहकों और बैंक या NBFC ("लोन देने वाली कंपनी") के बीच मध्यस्थ घोषित करती हैं तथा पीड़ितों की मदद करने के बहाने उन्हें लोन की रकम के सेटलमेंट में मदद करने का भरोसा दिलाती हैं। ऐसी संस्थाएं झूठा वादा करती हैं, जैसे कि:

(i) अपनी क़ानूनी जानकारी का उपयोग करके बेहद कम रकम चुकाकर लोन के सेटलमेंट करने का वादा;

(ii) ग्राहकों को कानूनी मदद देकर उनकी गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी को वापस दिलाने का वादा; और

(iii) बेहद कम रकम चुकाकर ब्लैक लिस्टेड कंपनी की भारी बकाया रकम के सेटलमेंट करने का वादा

2. ऐसी संस्थाएं पीड़ितों की ओर से कार्रवाई करने के बदले एक समझौते/ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तथा एक अधिकार-पत्र की मांग करती हैं।

3. ऐसी संस्थाएं नीचे बताए गए तरीकों से मासूम ग्राहकों को धोखा देती हैं:

(a) ग्राहकों को कम-से-कम 2 महीने या उससे अधिक समय के लिए EMI का भुगतान नहीं करने और इसके बजाय ऐसी संस्थाओं के विशेष "सेटलमेंट" बैंक अकाउंट में उस रकम का भुगतान करने के लिए उकसाना, जो फर्ज़ी तरीके से लोन सेटेलमेंट के उनके वादे का ही एक हिस्सा है;

(b) ऐसी संस्थाएं ग्राहकों को भरोसा दिलाती हैं कि वे इस काम में माहिर हैं और बेहद कम रकम चुकाकर लोन का सेटलमेंट करने में वे ग्राहकों की मदद करेंगी;

(c) वे ग्राहकों को भरोसा दिलाती हैं कि समय पर EMIs नहीं चुकाने या कम EMIs का भुगतान करने के बावजूद ग्राहकों के CIBIL रिकॉर्ड पर इसका कोई असर नहीं होगा;

(d) ऐसी संस्थाएं अपनी सोची-समझी योजना के तहत, लोन देने वाली कंपनी पर कानून/नियमों के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाते हुए नोटिस जारी करती हैं; और

(e) इतना ही नहीं, ऐसी संस्थाएं पीड़ित ग्राहकों से कहती हैं कि लोन देने वाली कंपनी की ओर से किए जाने वाले फोन कॉल्स को डायवर्ट करें। इसके बाद फोन पर उनके द्वारा लोन देने वाली कंपनी के साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाता है, और इस तरह का बर्ताव कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हम आपसे इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध करते हैं कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ाव के बावजूद, ग्राहक के बैंक खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने का मतलब ग्राहक द्वारा भुगतान के निर्देशों का उल्लंघन करना है, जिसकी वजह से:

(a) बैंक की ओर से जुर्माना / शुल्क लगाया जाएगा और खाते में पर्याप्त रकम आने पर ग्राहक के बैंक खाते से जुर्माने की रकम डेबिट कर ली जाएगी। बैंक द्वारा इस तरह के शुल्क की वसूली उसी महीने में या कई महीनों के लिए एक साथ, या फिर किसी खास महीने में की जा सकती है; और

(b) लोन देने वाली कंपनी EMI का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना शुल्क लगाएगी, जिसका भुगतान ग्राहक को करना होगा।

इसका नतीजा यह होगा कि, ग्राहक पर अपनी EMI का भुगतान करने के अलावा अतिरिक्त रकम चुकाने का बोझ बढ़ेगा। साथ ही, इस तरह का भुगतान नहीं करने से ग्राहक के क्रेडिट रिकॉर्ड और CIBIL रेटिंग पर भी काफी बुरा असर होगा।

साथ ही, लोन देने वाली कंपनियां भी लोन सेटेलमेंट की पेशकश करने वाली/ सलाह देने वाली संस्थाओं को मान्यता नहीं देती हैं, क्योंकि ग्राहक अपना लोन किसी को असाइन नहीं कर सकता है जो इस संबंध में ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए नियमों एवं शर्तों के विपरीत है।

ग्राहक द्वारा चुकाई जाने वाली लोन की रकम के बढ़ते बोझ और ग्राहक की क्रेडिट रेटिंग पर बुरे प्रभाव के बावजूद, ये संस्थाएं कोई भी सेवा प्रदान नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसी सेवाओं को न तो कानून के तहत मान्यता दी गई है और न ही लोन

देने वाली कंपनी ने उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया है। भोले-भाले पीड़ित ग्राहकों की मेहनत की कमाई को हड़पने के अलावा, ये संस्थाएं किसी तरह की मदद नहीं करती हैं।

हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस तरह की गैर-कानूनी और धोखाधड़ी वाली संस्थाओं से सावधान रहें जो अपनी वेबसाइटों और अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्ज़ी/ बहकाने वाले विज्ञापन प्रकाशित करते हैं, क्योंकि किसी भी अनाधिकृत/अवैध तरीके से लोन सेटेलमेंट के साथ खराब क्रेडिट रिकॉर्ड का जोखिम भी जुड़ा होता है। हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप किसी भी संस्था के द्वारा यह जाने वाले ऐसे झूठे वादों/दावों के झांसे में न आएं।

सावधान रहें, सुरक्षित रहें

बजाज फाइनैंस लिमिटेड की ओर से आम लोगों की जागरूकता के लिए सलाह

BAJAJ FINANCE LIMITED

SAVDHAAN RAHEIN SAFE RAHEIN